दूरभाष–2286709
2286711
**राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ0प्र0 लखनऊ**
नवचेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ– 226001

पत्रांक 2121 /01/49/दस/2013 दिनांक 15/9/14 ~~अगस्त, 2014~~

परि0 अधिकारी/सहा0 परि0 अधिकारी,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
**जनपद–कानपुर नगर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद, गाजियाबाद, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद, गोरखपुर, झांसी तथा सहारनपुर।**

**विषय : राजीव आवास योजनान्तर्गत शहरी स्थानीय निकाय एवं राज्य सरकार के मध्य किये जाने वाले एम0ओ0ए0 के सम्बन्ध में।**

राजीव आवास योजना के अन्तर्गत आपके जनपद का उपरोक्त रेखांकित शहरी स्थानीय निकाय आच्छादित है। वर्णित योजना के दिशा–निर्देशानुसार राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिये रिफार्म्स लागू करने हेतु भारत सरकार के साथ एम0ओ0ए0 हस्ताक्षरित करना है जो कि निष्पादित हो चुका है।

वर्णित योजना के दिशा–निर्देशों का पालन करने तथा रिफार्म्स हेतु आवश्यकताओं की पूर्ति की वचनबद्धता के लिये शहरी स्थानीय निकाय व राज्य सरकार के मध्य एम0ओ0ए0 निष्पादित किया जाना है।

राजीव आवास योजनान्तर्गत शहरी स्थानीय निकाय एवं राज्य सरकार के मध्य किये जाने वाले एम0ओ0ए0 के शासन के पत्र संख्या–1599/69–1–2014–4 (एल)/08 टी0सी0 दिनांक 04.09.2014 के द्वारा प्राप्त अनुमोदित एम0ओ0ए0 का प्रारूप पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि अपने जनपदीय नगर निगम के नगर आयुक्त एवं दो साक्षी से हस्ताक्षरित करा कर प्रत्येक दशा में दिनांक 18.09.2014 तक सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

15/9/2014

संलग्नक–यथोक्त

(श्रीप्रकाश सिंह)
निदेशक

प्रतिलिपि–

1. सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, सम्बन्धित जिला नगरीय विकास अभिकरण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम (सम्बन्धित जनपद) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. श्री योगेश आदित्य, सहायक परियोजना अधिकारी (वेबमास्टर) को सूडा की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(श्रीप्रकाश सिंह)
निदेशक

दूरभाष–2286709
2286711
राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ0प्र0 लखनऊ
नवचेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ– 226001

15/9/14

पत्रांक 2120 /01/49/दस/2013 दिनांक ~~1 अगस्त, 2014~~

परि0 अधिकारी/सहा0 परि0 अधिकारी,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
जनपद–फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर, मथुरा, शाहजहांपुर, रामपुर, इटावा, कन्नौज तथा रायबरेली।

विषय : राजीव आवास योजनान्तर्गत शहरी स्थानीय निकाय एवं राज्य सरकार के मध्य किये जाने वाले एम0ओ0ए0 के सम्बन्ध में।

राजीव आवास योजना के अन्तर्गत आपके जनपद का उपरोक्त रेखांकित शहरी स्थानीय निकाय आच्छादित है। वर्णित योजना के दिशा–निर्देशानुसार राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिये रिफार्म्स लागू करने हेतु भारत सरकार के साथ एम0ओ0ए0 हस्ताक्षरित करना है जो कि निष्पादित हो चुका है।

वर्णित योजना के दिशा–निर्देशों का पालन करने तथा रिफार्म्स हेतु आवश्यकताओं की पूर्ति की वचनबद्धता के लिये शहरी स्थानीय निकाय व राज्य सरकार के मध्य एम0ओ0ए0 निष्पादित किया जाना है।

राजीव आवास योजनान्तर्गत शहरी स्थानीय निकाय एवं राज्य सरकार के मध्य किये जाने वाले एम0ओ0ए0 के शासन के पत्र संख्या–1599/69–1–2014–4(एल)/08 टी0सी0 दिनांक 04.09.2014 के द्वारा प्राप्त अनुमोदित एम0ओ0ए0 का प्रारूप पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि अपने जनपद के योजनान्तर्गत चयनित स्थानीय नगरीय निकाय के अधिशासी अधिकारी एवं दो साक्षी से हस्ताक्षरित करा कर प्रत्येक दशा में दिनांक 18.09.2014 तक सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–यथोक्त

15/9/2014
(श्रीप्रकाश सिंह)
निदेशक

प्रतिलिपि–

1. सचिव, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, सम्बन्धित जिला नगरीय विकास अभिकरण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. श्री योगेश आदित्य, सहायक परियोजना अधिकारी (वेबमास्टर) को सूडा की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(श्रीप्रकाश सिंह)
निदेशक

# राजीव आवास योजना (आर0ए0वाई0)
# के अंतर्गत

## नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन

तथा

नगर निगम/नगर पालिका परिषद .....

के माध्यम से

उत्तर प्रदेश की सरकार

के बीच

मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (एम0ओ0ए0)

# मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (एम0ओ0ए0)

यह करार..... के दिन ..... माह ..... वर्ष को **नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन** के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार जिसे इसके आगे प्रथम पक्ष कहा गया है;

तथा

नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी के माध्यम से **शहरी स्थानीय निकाय** ..... ..... जिसे इसके आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है, के बीच किया गया है;

**जबकि,** द्वितीय पक्ष आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार की राजीव आवास योजना (आरएवाई) के अंतर्गत अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए प्रथम पक्ष के साथ सहभागिता करेगा;

**और जबकि,** प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 'योजना मार्गनिर्देशों' 'सुधार मार्गनिर्देशों' तथा अन्य 'प्रचालन मार्गनिर्देशों' का अनुपालन करने की बाध्यता से सहमत हैं;

**और जबकि,** द्वितीय पक्ष अनुलग्नक 'क' में उल्लिखित किए गए अनुसार समयबद्ध रूप से आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आरएवाई के 'सुधार मार्गनिर्देशों' में निर्दिष्ट अनिवार्य सुधारों को लागू करने के लिए सहमत हैं।

**और जबकि,** प्रथम पक्ष इस समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर तथा उपरोक्त दस्तावेजों के प्रस्तुत करने के बाद, जो इस करार में अनुलग्नक 'क' तथा अनुलग्नक 'ख' के रूप में इस करार के साथ संलग्न हैं, और इस करार में आगे निर्दिष्ट निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय वित्तीय सहायता तथा आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी 'वित्तपोषण पद्धति' शीर्ष के अंतर्गत 'योजना मार्गनिर्देशों' के अनुसार वित्तीय सहायता के अपने भाग को जारी करेगा।

**पक्षों का साक्ष्य इस प्रकार है :–**

1. कि द्वितीय पक्ष आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आरएवाई के वित्तपोषण पद्धति' शीर्ष के अन्तर्गत निर्दिष्ट अनुपात में 'योजना मार्ग निर्देशों' के अनुसार वित्तीय सहायता के अपने भाग से बाध्य होगा।
2. कि प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष निष्पादन में विलम्ब या अन्य किसी कारण से परस्पर सहमति से परियोजना लागत में किसी भी वृद्धि को वहन करेंगे। प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, से किसी भी लागत वृद्धि का दावा नहीं करेंगे।
3. कि द्वितीय पक्ष अनुलग्नक 'ख' में विस्तार से वर्णित आरएवाई के अंतर्गत आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आरएवाई के 'सुधार मार्गनिर्देशों' में यथानिर्दिष्ट वैकल्पिक सुधारों को लागू करने का प्रयास करेगा।
4. कि द्वितीय पक्ष आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आरएवाई योजना के 'दिशा निर्देशों ' मे यथानिर्दिष्ट 'प्रशासनिक और कियान्वयन ढाँचा' स्थापित करेगा।

5. कि द्वितीय पक्ष 'सामाजिक लेखा परीक्षा' और 'तृतीय पक्ष निरीक्षण एवं निगरानी' करने के साथ आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आरएवाई के 'योजना मार्गनिर्देशों' में यथानिर्दिष्ट 'निगरानी एवं मूल्यांकन' व्यवस्था तथा प्रकियाओं का अनुपालन करेगा।

6. कि द्वितीय पक्ष, आरएवाई का अनुपालन करते समय, प्रथम पक्ष अथवा द्वितीय पक्ष द्वारा यथा अनिवार्य पारदर्शी प्राप्ति व्यवस्था के अनुपालन के प्रति दृढ़ रहेगा।

7. कि इस करार के सभी पक्ष आगे यह भी प्रसंविदा करते हैं कि पक्षों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले को परस्पर विचार विमर्श से सुलझाया जाएगा।

8. कि द्वितीय पक्ष के नियंत्रण से बाहर की स्थिति अर्थात् 'अनिवार्य बाध्यता' या किसी अन्य व्यक्ति के कारण, द्वितीय पक्ष द्वारा सुधार एजेंडा के कियान्वयन अथवा किन्हीं आवधिक रिपोर्टों आदि की प्रस्तुति में यदि कोई विलम्ब होता है, तो आरएवाई के लक्ष्यों और उद्देश्यों के कियान्वयन के लिए समय अवधि में वृद्धि का मामला आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के विवेक पर होगा।

9. कि आरएवाई की शर्तों और निबंधनों के भंग होने की स्थिति में, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार को केन्द्रीय सहायता की उत्तरवर्ती किश्तों को रोकने का हक होगा।

इस के साक्ष्य स्वरूप सभी पक्षों ने साक्षियों की उपस्थिति में इस समझौता करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

हस्ताक्षरकर्ता:

3. कृते **नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन** (प्रथम पक्ष)
(दिनांक सहित हस्ताक्षर और नाम व पदनाम सहित मोहर)

4. कृते नगर निगम/नगर पालिका परिषद..... (द्वितीय पक्ष)
(दिनांक सहित हस्ताक्षर और नाम व पदनाम सहित मोहर)

साक्षी:

1. .....

2. .....

अनुलग्नक 'क'

## अनिवार्य सुधार

| क्र. सं. | द्वितीय पक्ष द्वारा सुधार का क्रियान्वयन (निष्पादन आदेश/अधिसूचना/विधान के द्वारा इसके परिवर्तन पर) | वर्ष 1 (13–14) | वर्ष 2 (14–15) | वर्ष 3 (15–16) | वर्ष 4 (16–17) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | स्लम निवासी जो 5 वर्षों से भी अधिक समय से स्लम के निवासी हैं को मोडगेज योग्य तथा नवीकरणीय (15 वर्ष) उत्तराधिकार लीज अधिकार सौंपने की वचनबद्धता तथा इच्छा। | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ |
| 2. | प्रथम पक्ष द्वारा निर्दिष्ट मार्गनिर्देशों के अनुसार सभी भावी आवासीय परियोजनाओं में प्रति–इमदादी व्यवस्था के साथ रिहायशी एफएआर/एफएसआई का 15% अथवा ईडब्ल्यूएस/एलआईजी श्रेणियों के लिए रिहायशी यूनिटों का 35% जो भी अधिक हो, का आरक्षण | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ |
| 3. | शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के लिए म्युनिसिपलिटी के बजट का 25% गैर–व्यप्तगत निर्धारित करना | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ |
| 4. | योजना अवधि के दौरान सामाजिक/सामुदायिक विकास तथा शहरी गरीबी उन्मूलन के लिए म्युनिसिपल कैडर का सृजन एवं स्थापना करना | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ |

अनुलग्नक 'ख'

## वैकल्पिक सुधार

| क्र. सं. | सुधार | वर्ष 1 (13–14) | वर्ष 2 (14–15) | वर्ष 3 (15–16) | वर्ष 4 (16–17) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | समग्र विकास हेतु समावेशी जोन बनाने और उपायों के द्वारा समावेशी वृद्धि हेतु मास्टर प्लान का संशोधन | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ |
| 2. | कार्य-निष्पादन लागत को कम करने के उद्देश्य से सिंगल विंडो सुविधा प्रदान करने के लिए विकास और आवासीय परियोजनाओं के संबंध में बिल्डिंग और बिल्डिंग बायलॉज की स्वीकृति की प्रक्रियाओं और कार्यविधियों का सरलीकरण | ☐ | ☐ | ☐ | ☑ |